पेज संख्या 01/05

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री बृजमोहन नोगिया, आर. ए. एस

अपील संख्याः 41/2021

अपीलान्ट्सः–

1. अंदर कंवर पत्नी जबर सिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र जबर सिंह
3. भबुत सिंह पुत्र जबर सिंह
4. बलवन्त सिंह पुत्र कान सिंह
5. श्रीमती मफरी कंवर पत्नी बलवंत सिंह जाति राजपुत निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

1 सवीया उर्फ शिवराज के कायम मुकामः–

1/1 सुखी देवी बेवा सवीया उर्फ शिवराज फौत

1/2 सोवन कुमारी पुत्री सवीया उर्फ शिवराज

2. बलवन्ता पुत्र पीराजी

3. मिसरा पुत्र पीराजी के कायम मुकाम

3/1 ढेली देवी पत्नि मिसराजी

3/2 नितेश कुमार पुत्र मिसरा जी

3/3 रिकु कुमारी पुत्री मिसरा जी

4 मीठालाल पुत्र बादराजी

5 छोगालाल पुत्र बादराजी के कायम मुकाम

5/1 रकमो देवी पत्नी छोगालाल

5/2 प्रकाशचन्द पुत्र छोगालाल

5/3 रमेश कुमार पुत्र छोगालाल

5/4 संतोष कंवर पुत्री छोगालाल

5/5 गीता कुमारी पुत्री छोगालाल जातियान तमाम पुरोहित, निवासीगण सायला तहसील सायला जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

6. अभय सिंह पुत्र जब्बर सिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र जब्बर सिंह
8. नगर कंवर पुत्री जब्बर सिंह
9. सगीता कंवर पुत्री जबर सिंह
10. हरी सिंह पुत्र जबर सिंह जातियान तमाम राजपुत निवासीगण सायला तहसील सायला जिला जालोर
11. छोगा पुत्र पुनमाजी जाति पुरोहित, निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 02 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बाबजूद सुचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–:निर्णयः– दिनांकः–31.08.2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान सविया के कायम मुकाम बनाम बलवंत सिंह वगै. में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2021 के विरूद्ध पेंश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर के न्यायालय में एक वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सायला के खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म भुमि गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 1296 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चाही तृतीय खसरा 1297 रकबा 1.81 हैक्टर किस्म चाही तृतीय खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म चाही तृतीय कुल रकबा 2.41 हैक्टर जिसके पूर्व खसरा नम्बर 461 थे के वादीगण के शुरू से मालिकाना हक की भूमि है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के पिता पुनमा का नाम 1/5 के हिस्से में गलत दर्ज हो गया। मौके पर उसका कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कब्जा काश्त नहीं था। पुनमा द्वारा अपने हिस्से की 1/5 हिस्से की भूमि का बेचान मीठालाल सेठ को किया गया था। परन्तु मीठालाल को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण मीठालाल द्वारा उक्त 1/5 हिस्से की भूमि का पुनः बेचान पुनमा के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 11 छोगा के नाम कर दिया। उसके पश्चात रेस्पाडेन्ट संख्या 11 द्वारा उक्त आराजी का बेचान बलवन्त सिंह व जबर सिंह को कर दिया। जो बेचान बिना कब्जे के किया गया था। यह दोनो अजनबी क्रेता है जिन्हें बिना विभाजन कराये उक्त आराजी में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे वे स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है उक्त वाद सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 75/1996 दर्ज किया गया जो कालान्तर में एसीएम कोर्ट जालोर में अन्तिरित किया गया जहां पर राजस्व वाद संख्या 6/1999 दर्ज किया गया। उक्त वाद में बलवंत सिंह व जबर सिंह जवाब दावे के साथ विभाजन का काउन्टर क्लेम पेश किया जिस पर सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा दिनांक 12/02/2007 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी जिसके विरूध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गयी जो अपील संख्या 27/2007 सविया बनाम बलवंत सिंह दर्ज की जाकर दिनांक 29.12.2011 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया। वर्ष 2010 में सहायक कलेक्टर सायला का पद गठित हो जाने के कारण उक्त प्रकरण सहायक कलेक्टर सायला के न्यायालय में अन्तरित किया गया। जहां पर दिनांक 09.04.2012 को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण आदेश जैर अपील के जरिये निर्णित किया गया। जिसके विरूध यह अपील इस आधार अपील लेकर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 09.04.2012 को दर्ज कर अपीलाण्ट के नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस दिनांक 28.11.2019 तक तामिल नहीं हुए। यह तथ्य आदेशिकाओ से स्पष्ट है एवं दिनांक 11.12.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का वाद उनके अधिवक्ता के गैर हाजिरी में अदम हाजिरी एव अदम पैरवी में फैसल कर दिया था। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को वाद पुनः रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलाण्ट को सुने बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.11.2020 को रखी गयी। एवं अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25.11.2020 को पूर्व अपीलाण्ट का जवाब रेकर्ड पर होने एवं उनके साक्ष्य पूर्व में होने का हवाला देते हुए प्रकरण बहस अन्तिम में रखा गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय बिना अपीलाण्ट के नोटिस तामिल हुए एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है। जबर सिंह व बलवंत सिंह द्वारा रेकडेड खातेदार छोगा से उसका हिस्सा जरिये बेचान खरीद किया गया है उसको भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयीं। यह भी कथन किया कि पत्रावली पर वर्ष 1996 में उपलब्ध मौका रिपोर्ट तैयार की गयी थी। उसमें अपीलाण्ट का कब्जा होना बताया है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 27/2007 निर्णय दिनांक 29.12.2011 में पारित आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट को मंगवाकर तनकीयात के निर्णय के अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना नहीं की गयी, न ही वर्ष 1996 की मौका रिपोर्ट के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचन किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मौका निरिक्षण किये जाने का उल्लेख किया है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट का न तो आदेशिका में कोई हवाला है एवं न ही रेकर्ड पर कोई मौका रिपोर्ट मौजूद है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन संख्या 2761 प्रस्तुत किया है जो अपीलाण्ट के हक में पारित किया गया था। जिससे साबित है कि अपीलाण्ट निर्णय के रोज वादग्रस्त आराजी के खातेदार थे। अपीलाण्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा दिनांक 02.08.2021 को श्रीमती मफरी कंवर को बेचान किया गया। जिसके द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो पत्रावली शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय बिना अपीलाण्ट को सुने पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावें। एव यह भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय उचित समझे तो प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय रिमाण्ड किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की और से बहस में यह कथन किया गया कि प्रथम सेटलमेंट संवंत् 2012 में पुनमा का नाम गलत दर्ज हो गया था। जबकि पुनमा का कब्जा वादग्रस्त आराजी कभी नहीं रहा है। मात्र रेकर्ड में स्वयं का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए उसके द्वारा बेचाननामें निस्पादित किये गये हैं। वादग्रस्त आराजी पर शुरू से ही रेस्पोडेन्ट का कब्जाकाश्त था एवं आज भी है पूर्व अपील में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2011 में पक्षकारान को 09.02.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु हिदायत दी गयी थी। जिससे पुनः नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था एवं पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मफरी कंवर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बलवंत सिंह से मिलावट कर पेंश करवाया है अंदर कंवर का मौके पर कब्जा नही होते हुए भी बेचाननामा मफरी कंवर के पक्ष में करवाया है जिसके आधार पर वह पक्षकार संयोजित होने की अधिकारी नहीं है जिससे अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे

उभयपक्ष अभिभाषकगण के बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा खातेदारी हक की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट द्वारा विभाजन का काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2007 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। जिसके विरूध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय के अपील संख्या 27/2007 पेश की गयी थी जो दिनांक 29.12.2011 को फैसल करते हुए आदेश दिनांक 12.02.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया था। उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। तब तक सहायक कलेक्टर सायला में भी न्यायालय गठित हो चुका था। एवं प्रकरण दिनांक 09.04.2012 को सहायक कलेक्टर सायला के न्यायालय में दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये थे। दिनांक 28.11.2019 तक प्रकरण तामिल में चला है उसके पश्चात दिनांक 11.12.2019 को रेस्पोडेन्ट का वाद अदम हाजिरी मे खारिज किया गया उसके पश्चात दिनांक 21.09.2020 को रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद रेस्टोर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट का वाद रेस्टोर कर उक्त निर्णय पारित किया गया है तथा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुचना नहीं दियां जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है एवं यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 27/2007 निर्णय दिनांक 29.12.2011 की पालना नहीं की गयी है मफ़री कंवर द्वारा अन्दर कंवर का हिस्सा खरीद किये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी में उसका हित निहित होने से उसे पक्षकार बतौर अपीलाण्ट संयोजित किया जाता है इन हालात में अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर सायला द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 05.07.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर सायला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि अनुसार निर्णय पारित करे। पक्षकारान सहायक कलेक्टर सायला के न्यायालय में दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित रहे।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखवाय जाकर दिनाक 31/08/2021 को बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बृजमोहन सोनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली